निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 46 / 2025
दायरा दिनांकः–05.06.2025
निर्णय दिनांकः– 24.11.25

उनवान

1. गुडडी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री उमरावसिंह पत्नि गजराज जाति अहिर निवासी ग्राम भोजपुर तहसील छबडा जिला बारां हाल निवास का पता ग्राम गांगन्याखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–24.11.25

अभिभाषक उपस्थितः– 1. श्री देवेन्द्र कुमार मेहता – प्रार्थी 1

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136, एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया काश्तकार महिला है, जिसकी शामलाती कृषि भूमि ग्राम निजामखेड़ी पटवार हल्का तीतरखेड़ी तहसील छबड़ा में खाता संख्या नया 47 पुराना 47 खसरा नंबर 20 रकबा 3.7054 कुल खसरा 1 कुल रकबा 3.7054 हिस्सा 1/7 दर्ज जमाबन्दी विद्याबाई पुत्री उमरावसिंह के नाम से है, एंव शामलाती कृषि भूमि ग्राम भोजपुर पटवार हल्का कोटरापार तहसील छबड़ा में खाता संख्या नया 120 पुराना 118 खसरा नंबर 155 रकबा 0.5691, खसरा नंबर 156 रकबा 0.7461 खसरा नंबर 229 रकबा 0.3162 खसरा नंबर 315/1 रकबा 0.0885 खसरा नंबर 351 रकबा 1.2014 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.9213 हिस्सा 1/7 दर्ज जमाबन्दी हल्कीबाई पुत्री उमरावसिंह के नाम से है, इसी प्रकार शामलाती कृषि भूमि ग्राम भोजपुर पटवार हल्का कोटरापार तहसील छबड़ा में खाता संख्या नया 123 पुराना 122 खसरा नंबर 173 रकबा 0.0126, कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.0126 हिस्सा 1/42 दर्ज जमाबन्दी हल्कीबाई पुत्री उमरावसिंह के नाम से है। शामलाती कृषि भूमि ग्राम भोजपुर पटवार हल्का कोटरापार तहसील छबड़ा में खाता संख्या नया 124 पुराना 121 खसरा नंबर 186 एकबा 0.2276 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.2276 हिस्सा 1/28 दर्ज जमाबन्दी हल्कीबाई पुत्री उमरावसिंह के नाम से है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीया काबिज काश्त है। उक्त मद नं.

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वर्णित आराजी में बतौर काश्तकार के नाम इन्तकाल मे दर्ज करते समय सहवन से म निजामखेड़ी पटवार हल्का तीतरखेड़ी तहसील छबड़ा की खाता संख्या नया 47 पुराना 47 की जमाबदी में प्रार्थीया का अशुद्ध नाम विद्याबाई सहवन से दर्ज हो गया है, उक्त नाम दुरूस्त कराना अति आवश्यक है प्रार्थीया सही व वास्तविक नाम गुड्डी बाई दर्ज कराना अति आवश्यक है। उक्त मद नं. 1 में वर्णित आराजी में बतौर काश्तकार के नाम इन्तकाल मे दर्ज करते समय सहवन से ग्राम भोजपुर पटवार हल्का कोटरापार तहसील छबड़ा की खाता संख्या नया 120 पुराना 118 की जमाबदी एंव खाता संख्या नया 123 पुराना 122 की जमाबदी में एंव खाता संख्या नया 124 पुराना 121 की जमाबदी में प्रार्थीया का अशुद्ध नाम हल्की बाई सहवन से दर्ज हो गया है, उक्त नाम दुरूस्त कराना अति आवश्यक है प्रार्थीया सही व वास्तविक नाम गुड्डी बाई दर्ज कराना अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 26/03/2025 को उत्पन्न हुआ प्रार्थीया जब किसान केडिड कार्ड के लिए नकल निकला कर बैंक मेनेजर साहब के पास गयी तब अलग अलग नाम होने से कृषि ऋण देने से मना कर देने पर जानकारी होने पर मालूम हुआ ओर प्रार्थीया स्वंय का अपना सही व वास्तविक नाम रेकार्ड मे दुरूस्त कराने बाबत कही बार राजस्व कर्मचारीयो से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा असमर्थता बताई गई। प्रार्थीया के अपने आधार कार्ड, जनआधार व राशनकार्ड व प्रमाण पत्र व बैंक डायरी व अन्य दस्तावेज भी प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। प्रार्थीया गुड्डी बाई पुत्री उमरावसिंह जाति अहीर जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में उक्त सही व वास्तविक नाम दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित पैरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थीया द्वारा अपपे पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निजामखेडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 47 नकल जमाबन्दी ग्राम भोजपुर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 120 नकल जमाबन्दी ग्राम भोजपुर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 123 नकल जमाबन्दी ग्राम भोजपुर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 124 नकल जमाबन्दी ग्राम भोजपुर सम्वत् 2052–55 खाता संख्या 2, 3, 4 नकल जमाबन्दी ग्राम निजामखेडी सम्वत् 2055–58 खाता संख्या 2 पेश की गई। फोटो प्रति बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत कोटडापार का प्रमाण पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निजामखेडी एवं ग्राम भोजपुर में स्थित है प्रार्थीया के पिता उमरावसिंह की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण दर्ज करते समय ग्राम निजामखेडी की भूमि में विद्याबाई एवं ग्राम भोजपुर की भूमि में नामान्तरण खोलतें समय हल्की बाई दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम गुड्डी बाई है प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में गुड्डी बाई दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में गुड्डी बाई के स्थान पर विद्याबाई व हल्की बाई दर्ज कर दिया जिसे प्रार्थीया दुरूस्त कराने की अधिकारी है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को राज्य सरकार व केन्द्र सकरार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भोजपुर की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 120,123,124 में प्रार्थीया का नाम हल्की बाई पुत्री उमरावसिंह जाति अहिर दर्ज रिकार्ड है जो नामान्तरण संख्या 202 दिनांक 10.05.1999 से जर्ये विरासत दर्ज हुआ जो आदिनांक तक चला आ रहा है। प्रार्थीया के आधार कार्ड वोटर आई डी आदि दस्तावेजात में गुड्डी बाई दर्ज है ग्राम वारिसायान से जानकारी लेने पर बताया कि गया कि हल्की बाई को गांव में गुड्डी बाई के नाम से जाना जाता है ग्राम वासियान ने बताया कि हल्की बाई व गुड्डी दा अलग–अलग व्यक्ति व महिला ना होकर दोनो एक ही महिला है ग्राम वासियान के आधार पर हल्की बाई के स्थान पर हल्की बाई उर्फ गुड्डी बाई किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। निजामखेडी की जमाबन्दी में अंकित विद्याबाई एवं गुडडीबाई के दस्तावेज में अलग–अलग नाम है तथा तहसीलदार रिपोर्ट भी स्पष्ट नही है। इसलिए यह आनुतोष नही दिया जा सकता। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भोजपुर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 120 में हल्की बाई पुत्री उमरावसिंह हिस्सा 1/7 खाता संख्या 123 में हल्की बाई पुत्री उमरावसिंह हिस्सा 1/42 खाता संख्या 124 में हल्की बाई पुी उमरवसिंह हिस्सा 1/28 दर्ज रिकार्ड है नमल जमाबन्दी ग्राम भोजपुर सम्वत् 2052–55 खता संख्या 2, 3, 4 में कॉलम संख्या 11 से 16 में मृतक उमरावसिंह के स्थान पर नामान्तरण संख्या 202 दिनांक 10.05.1999 से वारिसान का नाम दर्ज हुआ जिसमें हल्की बाई का नाम दर्ज है। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेज बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, में गुड्डी बाई अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत कोटडापार ले भी गुड्डी बाई, हल्की बाई दोनो नाम एक ही महिला के है प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर गुड्डी बाई एवं हल्की बाई दोनो नाम एक ही महिला के होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम भोजपुर के खाता संख्या 120 के कुल खसरा नम्बर 5 रकबा 2.9213 है खाता संख्या 123 में खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0126 है खाता संख्या 124 में खसरा नम्बर 186 रकबा 0.2276 है0 में दर्ज प्रार्थीया का नाम हल्की बाई के स्थान पर हल्की बाई उर्फ गुड्डी बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा